319/28-02-2020

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–26.02.2020 को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में दिये गए निदेश।

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–26.02.2020 को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी नियोजन प्रक्रिया, नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण एवं पूर्व में दिए निदेशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गए :–

1. **L.G.D Code** :– भारत सरकार द्वारा निर्मित किये गये L.G.D Code के बारे में निदेश दिया गया कि इस संबंध में जो भी समस्याएँ आ रही है उनका समाधान जन गणना निदेशालय एवं पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र कर लिया जाए। L.G.D Code में प्रथम 6 डिजिट, L.G.D Code का, 5 डिजिट प्लॉट नं0 का एवं 2 डिजिट प्लॉट टाईप का देने का निदेश दिया गया।

   अनुपालनः– नोडल पदाधिकारी, L.G.D Code /जी0आई0एस0 सलाहकार।

2. **नियोजन** :– प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण से संबंधित नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का औपबंधिक परिणाम एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन का परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के प्रिणाम में कुछ तकनीकी त्रुटियॉं पाए जाने के पश्चात उनके निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। नियुक्ति पत्र निर्गत संबंधी प्रक्रिया पुरा करने में आई0टी0 मैनेजर के अवकाश पर रहने के कारण कुछ समस्या आ रही है। नियोजन के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन कर अन्य औपचारिकताएँ पुरी की जा रही है। निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी नियोजन संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर नवनियुक्त होनेवाले कर्मियों के योगदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

   अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

3. **प्रशिक्षण** :– निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए नवनियुक्त होनेवाले कर्मियों के प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंधन, प्रशिक्षणार्थियों को की जाने वाली सुबिधाओं का आकलन एवं प्रबंधन, प्रशिक्षकों की व्यवस्था, जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन एवं अनुश्रवण इत्यादि के संबंध में सभी तैयारियाँ पूर्ण कर बिन्दुवार प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए। राज्य स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण में पूर्व से दानापुर एवं फुलवारीशरीफ में चयनित प्रशिक्षण स्थलों की पुर्नसमीक्षा कर आवश्यकतानुसार नये प्रशिक्षण स्थलों का चयन किया जाए। जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों की सूची जिलों से प्राप्त कर ली जाए एवं प्रशिक्षण का कक्षावार दैनिक कार्यक्रम भी प्राप्त कर लिया जाय। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के अनुश्रवण हेतु एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार करने का भी निदेश दिया गया जिसके माध्यम से जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की दैनिक स्थिति यथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, कक्षा की संख्या नामित एवं वास्तविक प्रशिक्षकों की स्थिति इत्यादि का संक्षिप्त प्रतिवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जा

सके। जिला स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आवंटन भी ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में फुलवारीशरीफ एवं दानापुर प्रखण्ड में होने वाले प्रशिक्षण संबंधी सभी दायित्व श्री सुबोध कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी को तथा सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर का दायित्व श्री मुकुल कुमार, उपसचिव को देने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– श्री मुकुल कुमार, उपसचिव/श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी।

4. **विशेष सर्वेक्षण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग** :– निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से Non Performer कर्मियों की पहचान की जाए। प्रत्येक माह में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले एवं सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन–तीन कर्मियों की पहचान कर समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों के पास SMS के माध्यम से प्रतिवेदित किया जाए। विशेष सर्वेक्षण के सतत पर्यवेक्षण के लिए सभी कार्यरत अमीनों के मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 प्राप्त कर ली जाए। विशेष सर्वेक्षण के सतत अनुश्रवण के लिए Mobile Application भी तैयार कर लिया जाए। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किये गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी अंचलों/जिलों के प्रगति प्रतिवेदन को समेकित कर एक समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को अपर मुख्य सचिव को मोबाईल एवं ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएँ। विशेष सर्वेक्षण संबंधी ऑनलाइन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला बंदोबस्त कार्यालयों को वाइ–फाई की सुविधा प्रदान करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/ सुश्री सुरभी सिंह, डाटा एनालिस्ट।

5. **आधुनिक अभिलेखागार** :– आधुनिक अभिलेखागार के संबंध में कृत कार्रवाई के संबंध में निदेश दिया गया कि आधुनिक अभिलेखगार में अभिलेखागार में अभिलेखों के भंडारण की क्या प्रक्रिया होगी और सॉफ्ट कॉपी में संधारित अभिलेखों को खोजने की प्रक्रिया (Search Machanism) क्या होगी ? इसके संबंध में एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाए। आधुनिक अभिलेखागारों को 15 अप्रैल, 2020 से क्रियाशील बनाते हुए एवं इसके लिए आवश्यक आवंटन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। क्रियाशील किये जाने वाले आधुनिक अभिलेखागारों से संबंधित अंचलों को निदेश दिया जाए कि आवश्यकतानुसार सभी खरीदारी एवं अन्य आवश्यक तैयारियों मार्च माह में ही पूर्ण कर ली जाए। प्रतिवेदित किया गया कि कुल 426 आधुनिक अभिलेखागार निर्मित किए गए है, जिनमें 174 को ही प्रथम चरण में क्रियाशील (Operationoalise) किया जाना है। निदेशित किया गया कि मुख्यालय स्तर के अंचलों के अतिरिक्त अन्य अंचलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चिन्हित किया जाए साथ ही आधुनिक क्रियाशील किए जानेवाले आधुनिक अभिलेखागार भवनों के वर्त्तमान उपयोग की स्थिति का भी प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए। अभिलेखागारों के क्रियाशील होने के पश्चात् निष्पादित हो चुके दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य विषयों की जानकारी रैयतों को उपलब्ध करायी जाए। आधुनिक अभिलेखागारों के संचालन हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निदेश तैयार करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालनः–भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

6. **नदी एवं उसके दियारा तथा अन्य कारणों से उत्पन्न अर्न्तजिला सीमा विवाद** :– निदेश दिया गया कि इस विषय से संबंद्ध जिलों के मध्य किए जाने वाले भौगोलिक निर्धारण के लिए प्रमण्डलीय आयुक्तोंके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्तों से इस संबंध में की गई बैठकों की कार्यवाही की मांग की जाए।

अनुपालनः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

7. **शेखपुरा, सुपौल एवं बेगूसराय में भ्रमण के क्रम में दिए गए निदेशों की समीक्षा** :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि शेखपुरा, सुपौल एवं बेगूसराय भ्रमण के क्रम में दिए गए निदेशों के अनुपालन हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से पत्रांक–321 दिनांक–18.02.2020 निर्गत किया गया है। उपर्युक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यालय प्रबंधन, मोन्यूमेंटेशन संबंधी डाटा संरक्षण, ETS प्रशिक्षण, मानचित्रों का संरक्षण तथा अवैध जमाबंदी रद्दीकरण के संबंध में की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन आगामी बैठक से पूर्व प्राप्त कर लिया जाए। वंशावली के प्रारूप एवं विशेष सर्वेक्षण अभिलेखों के मॉडल प्रारूप में निदेशालय स्तर से प्रारूप तैयार कर आगामी बैठक तक उपस्थापित किया जाए। वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण कार्यरत तीनों अंचलों में लंबित दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। मानचित्रों में की जानेवाली प्रविष्टि के संबंध में निदेश दिया गया कि खेसरा पंजी में भरे जाने वाले भौतिक विवरणी के कोड एवं यूनिक प्लॉट नं0 के कोड के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे कि एक ही प्लॉट के संबंध में दो अलग–अलग कोड बनने की स्थिति उत्पन्न न हो। इस संबंध में उत्तर प्रदेश द्वारा भूमि उपयोग के लिए निधार्रित कोडिंग व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। मानचित्रों में सरकारी भूमि एवं अन्य महत्पूर्ण भूमि के पहचान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अनुपालन :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/
तकनीकी कोषांग।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017......399.......... पटना, दिनांक :–28-02-2020

प्रतिलिपिः– श्री मुकुल कुमार, उपसचिव/श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017....399............ पटना, दिनांक :–28-02-2020

प्रतिलिपिः– संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/सुश्री सुरभी सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134/2017....399............ पटना, दिनांक :–28-02-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 26/2/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप